छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल

पर्यावास भवन, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर–19,
नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
Email add- hocecb@gmail.com

क्रमांक /मु./तक./छ.ग.प्र.सं.मं./2024 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक / /2024

कार्यालय आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य में बड़ी संख्या में गौण/मुख्य खनिज खदानें एवं स्पंज आयरन प्लांट, पावर प्लांट, स्टील मेल्टिंग शॉप, फेरो एलाएज प्लांट, रोलिंग मिल आदि उद्योग स्थापित हैं। इन उद्योगों से उत्पादित उत्पाद, उत्पन्न अपशिष्ट एवं उद्योगों में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल, जिनसे परिवहन के दौरान डस्ट उत्सर्जन की संभावना रहती है, का परिवहन बडी मात्रा में सड़क मार्ग से किया जाता है। परिवहनकर्ता वाहनों द्वारा ओव्हर लोडिंग करने एवं वाहन को उपयुक्त प्रकार से कव्हर नहीं किये जाने के कारण परिवहन के दौरान प्रदूषण एवं दुर्घटना की संभावना बनी रहती है एवं वाहन के पीछे चलने वालों को अत्याधिक असुविधा होती है। उक्त समस्या के निराकरण हेतु वाहनों को उपयुक्त प्रकार से कव्हर किये जाने बाबत निम्न स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर के अनुसार कार्यवाही की जावे।

1. **उद्योगों/खदानों/संस्थानों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :–**

- प्रत्येक खदान/उद्योग/संस्थान प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा। जोकि इस प्रक्रिया के पालन हेतु उत्तरदायी रहेगा।
- प्रत्येक खदान/उद्योग/संस्थान में परिवहन हेतु वाहनों का समूह चिन्हांकित किया जायेगा। जिसकी सूची एवं पूर्ण विवरण संबंधित खदान/उद्योग/संस्थान के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगा।
- परिवहन करने वाले वाहन से उत्सर्जन मानकों के अनुरूप रहना चाहिए एवं परिवहन के दौरान वाहन में वैध पी.यू.सी. प्रमाण पत्र उपलब्ध रहना चाहिए।
- प्रत्येक खदान/उद्योग/संस्थान में तारपोलिन से वाहन कव्हर करने हेतु एक स्थाई स्थल चिन्हांकित किया जावेगा एवं इसी स्थल पर वाहन को तारपोलिन से कव्हर करने की कार्यवाही की जायेगी। स्थल पर आवश्यकतानुसार जल छिड़काव की व्यवस्था आदि की जावेगी।

2. **तारपोलिन से वाहन को ढँकने की प्रक्रियाः–**

प्रत्येक खदान/उद्योग/संस्थान सुनिश्चित करेगा कि –

- वाहन की बॉडी, जिसे तारपोलिन द्वारा ढ़ँका जाना है, में कोई छिद्र अथवा क्रेक नहीं होना चाहिये, जिससे इसमें भरे जाने वाला मटेरियल परिवहन के दौरान सड़क पर नहीं गिरे।
- वाहन में मटेरियल का भराव इस प्रकार से किया जावे, जिससे बॉडी में न्यूनतम 05 सेंटी मीटर का फ्री बोर्ड रहे। वाहन किसी भी परिस्थिति में ओव्हर लोड नहीं किया जाना चाहिये।

- तारपोलिन केनवास अथवा उच्च घनत्व पोलीइथलीन की उपयुक्त मोटाई की होनी चाहिये। उच्च घनत्व पोलीइथलीन की तारपोलिन आई.एस. 7903 : 2011 के प्रावधानों के अनुरूप होनी चाहिये एवं इस पर बी.आई.एस. कोड के प्रावधान अनुसार मार्किंग होना चाहिये।
- तारपोलिन वाटरप्रूफ, वियर रेजिस्टेंट होनी चाहिये। यह कटी–फटी अथवा क्षतिग्रस्त नही होनी चाहिये। तारपोलिन की मजबूती के लिये किमारे/कोने दोहरी सिलाई युक्त होना चाहिये एवं किनारे–किनारे आवश्यकतानुसार आईलेट्स लगे होने चाहिये, ताकि तारपोलिन को सुविधानुसार बांधा जा सके। कटी–फटी अथवा क्षतिग्रस्त तारपोलिन से कव्हर करना पाये जाने पर इस एस.ओ.पी. का उल्लंघन माना जावेगा।
- यथा संभव वाहन को कव्हर करने के लिये एक तारपोलिन का उपयोग किया जाना चाहिये, ताकि परिवहन के दौरान हवा के कारण तारपोलिन उड़ने की संभावना न रहे। किन्ही परिस्थितियों में यदि एक ही तारपोलिन का उपयोग संभव न हो, तो दो तारपोलिन का उपयोग पर्याप्त ओव्हर लेप करते हुये किया जा सकता है। परंतु इसमें सावधानी रखी जावे कि परिवहन के दौरान हवा के कारण तारपोलिन उड़ने एवं मटेरियल से प्रदूषण की संभावना न हो।
- तारपोलिन से वाहन के बॉडी के बाहरी न्यूनतम आधे हिस्से को कव्हर कर बांधा जाना चाहिये।
- वाहन को तारपोलिन से कव्हर करने के पश्चात इस प्रकार बांधा जाकर सील किया जाना चाहिए ताकि परिवहन के दौरान वाहन से मटेरियल के बाहर गिरने/उड़ने की संभावना न रहे।
- कव्हर करने के पश्चात वाहन की बाडी के तीनों ओर संबंधित खदान/उद्योग/संस्थान के नोडल अधिकारी का सम्पर्क नम्बर सहजदृष्य रूप से प्रदर्शित करने वाला स्टीकर लगाया जायेगा ताकि उल्लंघन पाये जाने पर इसकी जानकारी संबंधित को दी जा सके। नोडल अधिकारी इस बाबत जानकारी प्राप्त होते ही यथाशीघ्र समस्या का निराकरण सुनिश्चित करेगा।
- प्रत्येक वाहन में परिवहन किये जा रहे मटेरियल से संबंधित वैध दस्तावेज यथा आवश्यकता अनुसार परमिट/पिटपास आदि तथा मटेरियल की मात्रा, मटेरियल पाने वाले का नाम तथा उद्योग/संस्थान आदि जानकारी संबंधी विवरण उपलब्ध रहना चाहिए।
- उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात वाहनों को व्हील वाशिंग सिस्टम से गुजारा जाना चाहिए ताकि उपरोक्त प्रकिया के दौरान वाहन के पहियों पर लगी डस्ट साफ हो सके।
- प्रत्येक खदान/उद्योग/संस्थान उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु एक चेक लिस्ट तैयार करेगा एवं कार्यवाही पूर्ण होने पर वाहन चालक चेक लिस्ट अनुसार कार्य पूर्ण किये जाने की जानकारी हस्ताक्षर कर सिक्युरिटी गेट पर जमा करेगा एवं एक प्रति वाहन के साथ रखेगा। समस्त कार्यवाही संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने के पश्चात ही वाहन को परिसर के बाहर निकलने की अनुमति दी जावेगी।

3. <u>उल्लंघन की स्थिति में कार्यवाहीः–</u>

- परिवहन के दौरान वाहन उपरोक्तानुसार तारपोलिन से उपयुक्त रूप से ढका न पाये जाने पर पुलिस/परिवहन विभाग के अधिकारियों द्वारा वाहन पर संबंधित नियमों के अंतर्गत कार्यवाही

- उद्योगों/खदानों/संस्थानों के निरीक्षण के दौरान परिसर में उपरोक्त प्रक्रिया का उल्लंघन पाये जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा की जावेगी।

उपरोक्त एस.ओ.पी. दिनांक 01/08/2024 से प्रभावशील होगा। संबंधित उद्योगों/खदानों/संस्थानों द्वारा एस.ओ.पी. के अनुसार आवश्यक व्यवस्थाएं दिनांक 01/08/2024 के पूर्व पूर्ण करना सुनिश्चित कर लिया जावे।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग)

पृ.2529/मु./तक./छ.ग.प.सं.मं./2024 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 26/6/2024

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि शासन स्तर से परिवहन विभाग को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. सर्व संबंधित अधिकारी, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर/भिलाई–दुर्ग/बिलासपुर/कोरबा/रायगढ़/अंबिकापुर/जगदलपुर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके कार्यक्षेत्र में स्थापित संबंधित उद्योगों को उपरोक्तानुसार एस.ओ.पी. के पालन एवं इस हेतु आवश्यक व्यवस्था दिनांक 01/08/2024 के पूर्व पूर्ण करने हेतु निर्देशित करे एवं दिनांक 01/08/2024 से उद्योगों में निरीक्षण के दौरान उल्लंघन पाये जाने नियमानुसार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करें।
4. प्रोग्रामर, मुख्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित। निर्देशित है कि उक्त आदेश को मण्डल की वेबसाईट मे अपलोड करें।
5. नोटिस बोर्ड।

सदस्य सचिव
छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल
नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग)